वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति

सी.पी. सुजय

स्वतंत्र भारत में विकास योजनाओं की शुरुआत से ही सरकार ने सामाजिक कल्याण के प्रयासों में वृद्धों को प्राथमिकता दी है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को निर्दिष्ट करते हैं कि वे अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार वृद्धों को शासकीय सहायता दें। वृद्धों को दिए जाने वाले शुरुआती सामाजिक सुरक्षा लाभों में पेंशन व आवास भी शामिल था। राज्य सरकारों ने 50 व 60 के दशकों में ये प्रयास शरू किए थे। आज अधिकांश राज्यों के पास अपनी कोई न कोई वृद्धावस्था पेंशन स्कीम है। बाद के दशकों में वृद्धों के लिए कई दूसरी कल्याण योजनाएं भी चालू की गई थीं।

हमारी सामाजिक कल्याण नीति का निर्धारण मानवतावादी सिद्धांतों की रोशनी में किया गया। इसमें सरकार ने वृद्धों को कल्याण लाभों, सहायता एवं संस्थानिक सेवाओं का स्वाभाविक ग्राहक मात्र माना। इन योजनाओं के निर्माण में उनकी भागीदारी की ज़रूरत नहीं समझी गई।

दूसरी ओर वृद्धों की बड़ी संख्या को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार के लिए आर्थिक तंगी एक बड़ी बाधा रही है। पेंशन योजना में शामिल लोगों की संख्या और पेंशन राशि, दोनों बहुत कम है। इससे यह योजना एक सुधारात्मक उपाय बन गई जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था से जुड़े जोखिमों से रक्षा की बजाय अभावों व निर्धनता से बचाव करना ज़्यादा था। बड़ी संख्या में वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा हेतु एक प्रभावी और समग्र ढांचे का अभाव आज भी बना हुआ है।

नीति निर्माण

सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष-1999 में वृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित की। वर्ष 2000 को वृद्धों के लिए राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। इसके पहले 1987-88 में एक अंतर मंत्रालयीन कमेटी का गठन हुआ था। परंतु नीति निर्माण की प्रक्रिया ने 97-98 में ही गति पकड़ी। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों, शोध संस्थानों आदि की सक्रिय भागीदारी रही। इसके प्रारूप दस्तावेज़ पर विभिन्न कोणों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय नीति कुछ बुनियादी और परस्पर-सम्बंधित सरोकारों की ओर इशारा करती है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कारण हुए जनसांख्यकीय बदलावों और छोटे परिवार के प्रचलन के कारण कामकाजी लोगों पर वृद्धों की देखभाल की बढ़ती ज़िम्मेदारियां; वृद्धों की बड़ी संख्या को मात्र न्यूनतम सामाजिक मदद उपलब्ध कराने का भारी काम; औद्योगिकीकरण व शहरीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में आए बदलावों के प्रभाव; नई तकनीकों, नई जीवन शैली व मूल्यों का परिवार की संरचना, कामकाज व बुजुर्गों की देखभाल करने की क्षमता पर प्रभाव आदि शामिल हैं।

इस दस्तावेज में विधवाओं, महिलाओं, गरीबों, ग्रामीणों, विकलांगों एवं मानसिक रोगियों सहित गंभीर रूप से बीमार वृद्धों की दुर्दशा भी रेखांकित की गई है।

वृद्धों के बारे में राष्ट्रीय नीति खुली हुई है। यह वृद्धों की माली सुरक्षा हेतु वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, कल्याण, वृद्ध महिलाओं को विशेष महत्व, दुर्व्यवहार व शोषण से बचाव तथा ग्रामीण क्षेत्र के वृद्धों पर विशेष ध्यान देने जैसे कामों को आश्वस्त करती है। नीति में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि सरकार स्वयं के बलबूते पर इन उद्देश्यों को आंशिक रूप से ही प्राप्त कर सकती है।

कितनी गम्भीरता है

राष्ट्रीय नीति के इन बड़े-बड़े वादों को गंभीरता से लेना मुश्किल है। सुधार के इस दौर में सरकार की बदतर वित्तीय स्थिति को देखते हुए, नीति में आश्वस्त मददों के लिए

धन की उपलब्धता संदिग्ध है। स्वास्थ्य, आवास व कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मदों तक के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी ये स्पष्ट नहीं है।

नीति में पुरानी पेंशन योजना के दायरे को बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। जनवरी 1997 में करीब 27.6 लाख वृद्ध इस योजना से लाभ उठा रहे थे। नीति में कहा गया है कि अब गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी बुजुर्गों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। परंतु नीति में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उन वृद्धों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है जिन्हें योजना का लाभ मिलना है। न ही इसमें इस बात का उल्लेख है कि इस काम को कब तक पूरा कर लिया जाएगा। नीति इस बात पर भी चुप है कि इस विशाल काम को पूरा करने के लिए कितनी राशि दरकार होगी।

पूरे देश में वृद्धों को दी जाने वाली वर्तमान पेंशन राशि (30 से 250 रु. प्रतिमाह तक) से उन्हें किसी प्रकार की आय या जीविका की सुरक्षा नहीं मिल पाती है। यह तो बेहद गरीबी से कुछ राहत पाने हेतु दी जाने वाली प्रतीक राशि मात्र है। हालांकि नीति दस्तावेज में समय-समय पर इस राशि के पुनर्निर्धारण की बात कही गई है ताकि महंगाई के कारण इस राशि की वास्तविक क्रय क्षमता कम न हो। परन्तु इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि पेंशन की वर्तमान आधार दर को सूचकांक के ज़रिए यथावत रखा जाएगा या आर्थिक निर्वाह की ज़रूरतों के अनुसार पेंशन राशि की पूर्ण समीक्षा की जाएगी।

पेंशन योजना के तहत पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता कभी न खत्म होने वाला काम है। क्योंकि मृत्यु दर में कमी आने और उस अनुपात से गरीबी में कमी न आने के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले वृद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछली जनगणना के जनसंख्या स्तर पर भी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या 6.72 करोड़ (1995) थी। इसमें से कुछ ही लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना व अभाव से बचाव की अन्य योजनाओं (जैसे खेतीहर मज़दूर पेंशन योजना, बेरोज़गारी राहत योजना) का लाभ मिल पाया है। हालांकि गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले वृद्धों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन माना जा सकता है कि सामान्य जनसंख्या की तुलना में वृद्धों में गरीबी ज़्यादा पाई जाती है।

गरीबी और बुढ़ापा

नीति दस्तावेज में माना गया है कि सामान्य जनसंख्या का 33 प्रतिशत वृद्ध हैं। और यह भी कि 60 वर्ष से अधिक आयु की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग गरीबी रेखा से नीचे रहता है। यानी इन आंकड़ों के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले वृद्धों की जनसंख्या 2.3 करोड़ है। विभिन्न सर्वेक्षण बताते हैं कि बूढ़े लोगों में जीर्ण रोगों से पीड़ित और विकलांगों की संख्या काफी ज़्यादा है। सर्वेक्षण ये भी बताते हैं कि वृद्ध 60 वर्ष की आयु के बाद भी कई वर्षों तक काम करते रहते हैं और इनकी औसत आय अन्य आयु वर्गों की तुलना में बहुत कम रहती है। सरकार की आर्थिक स्थिति व अन्य वास्तविकताओं को देखते हुए सभी वृद्धों तक वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने का काम चरणबद्ध समय में भी पूरा कर पाना सरकार के बूते के बाहर की बात लगती है।

नीति दस्तावेज में वर्णित अन्य लाभों जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र व सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, द्वितीयक व तृतीयक स्तर पर जिराट्रिक्स (वृद्धावस्था तथा उसके रोगों से सम्बंधित औषधविज्ञान की शाखा) सुविधाएं प्रदान करना, जरा चिकित्सा में नए विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों की शुरुआत, बीमार बुजुर्गों के लिए मोबाइल चिकित्सा सेवा की शुरुआत एवं वृद्धों की शिक्षा, प्रशिक्षण व जानकारियों की ज़रूरतों की पूर्ति आदि के बारे में भी यह बात सही ठहरती है।

कैसे बने कार्य योजना

शासकीय हस्तक्षेपों से सम्बंधित प्रतिबद्धताओं को देखते हुए तो यह नीति दस्तावेज एक आशय पत्र ज़्यादा लगता है। यदि दस्तावेज में नीति के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय विवरण एवं कार्ययोजना की रूपरेखा भी होती तो इसकी विश्वसनीयता काफी बढ़ जाती। इससे नीति के क्रियान्वयन हेतु तात्कालिक कामों की रूपरेखा बनाने और मध्यकालिक व दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाने में भी मदद मिलती। वैसे भी नीति दस्तावेज से हर काम के छोटे-छोटे विवरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। क्रियान्वयन रणनीति व कामों को क्रमबद्ध करने की योजना बनाने व इसके लिए धन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है।

परंतु दस्तावेज में नीति में किए वादों की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था बाबत कोई उल्लेख ही नहीं है। नीति में सिर्फ इन्हीं बातों का उल्लेख है कि सरकार एक कार्ययोजना तैयार करेगी, नीति को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाएगा और इसके मुख्य बिन्दु निरंतर केंद्र में रहेंगे। परन्तु नीति की घोषणा के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई है। शायद मंत्रालय अब कार्य योजना तैयार करने में लगा हुआ है।

शासकीय कार्यवाही के लिए किए सरकारी वादों से आर्थिक क्षमता और व्यावहारिकता के कई सवाल उठते हैं जैसे वृद्ध लोगों की ओर लक्षित नई योजनाओं पर सरकार कितना खर्च करने में सक्षम है? या फिर, वर्तमान कार्यक्रमों का लाभ वृद्धों तक पहुंचाने के लिए इनमें सुधार, परिवर्तन आदि पर सरकार कितना धन खर्च कर सकती है? विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों में वृद्धों से जुड़े मुद्दों को अधिक महत्व सुनिश्चित करवाने के लिए सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग का अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के साथ कितना समन्वय है आदि।

कानूनी अधिकार

नीति में अपने भरणपोषण में अक्षम बुजुर्ग पालकों के अपने समर्थ बच्चों पर निर्भर रहने के कानूनी अधिकारों का ज़िक्र किया गया है। इन अधिकारों का प्रावधान अपराधदंड विधान एवं हिन्दू एडॉप्शन एण्ड मेनटेनेंस एक्ट 1956 में है। इन अधिकारों से सम्बंधित कानून को राज्य स्तर पर लागू करने के दो राज्यों के प्रयासों की इस नीति में प्रशंसा की गई है व अन्य राज्यों को भी इस हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

बहुत कम पालक अपनी संतानों के खिलाफ अपराध दंड विधान का इस्तेमाल न्यायालय में जाने के लिए करते हैं। अपराध दंड विधान की धारा 125 के तहत आने वाले अधिकांश प्रकरण पीड़ित पत्नियों के होते हैं। परंतु इन कानूनों के तहत बच्चों द्वारा अपने पालकों या पति द्वारा अपनी पत्नी के भरणपोषण से सम्बंधित प्रावधान न्यूनतम आय या वृद्धावस्था की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं हैं। ये प्रावधान सिर्फ बहुत ज़्यादा अभाव से बचाने के लिए हैं। इसलिए ये कानून बुजुर्गों को जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने की शासकीय कार्यवाही के विकल्प नहीं हो सकते।

पालकों के कानूनी अधिकारों की स्थिति चाहे जो भी हो पर तथ्य यह है कि वे अपनी संतानों के खिलाफ कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते। यद्यपि हिमाचल प्रदेश के विधेयक में कई आकर्षक प्रावधान हैं, लेकिन देखना यह है कि बच्चों व पत्नियों जैसे राहत के अन्य हकदारों की तुलना में वृद्ध इस कानून का कितना प्रयोग करते हैं।

काम एक विभाग अनेक

वृद्धों से जुड़े विषय सरकार के कई मंत्रालयों व विभागों के अंतर्गत आते हैं। परन्तु वृद्धों की ज़रूरतों को अब तक कल्याण या समाज कल्याण विभाग के ही तहत देखा जाता है। अत्यधिक गरीब व अभावग्रस्त लोगों को सहायता हेतु सीधा लक्ष्य बनाया जाता है परंतु नीति दस्तावेज ने सिद्धान्तों, दिशाओं, ध्यान देने योग्य ज़रूरतों, सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों की भूमिकाओं को स्पष्ट कर दिया है। इस नीति में वृद्धों के सक्रिय वरचनात्मक सहभागिता पर भी ज़ोर दिया गया है न कि सिर्फ उनकी देखभाल पर।

सामाजिक सहायता व सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, दुर्व्यवहार व शोषण से रक्षा, शोध, प्रशिक्षण जैसी प्राथमिकताओं को चिन्हित करते हुए इस नीति में वृद्धों के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया है। इस बहुस्तरीय व बहुआयामी नीति को लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए समन्वय, कुशल नेतृत्व, प्रभावी रणनीति, नेटवर्किंग, मत प्राप्त करना व हिमायत ज़रूरी है। नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था, फीडबैक व तंत्र में लगातार सुधार और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नीति क्रियान्वयन की देखभाल करने वाले संस्थानिक तंत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी।

नीति के क्रियान्वयन प्रयासों के तहत मई, 1999 में मंत्रालय ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री के अधीन 39 सदस्यीय ''नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर परसन'' (NCPO, वृद्धों के लिए राष्ट्रीय परिषद) के गठन की घोषणा की। इसका काम वृद्धों से जुड़े मामलों पर परामर्श व फीडबैक देना, मत प्राप्त करने व अधिवाक् मंच के रूप में काम करना और वृद्धों की शिकायतों का निपटारा करना है। इस परिषद में पेंशन, रक्षा, रेल्वे, संचार मंत्रालय जैसे कुछ प्रमुख मंत्रालयों के साथ-साथ

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 1996 में इसी प्रकार का ''हिमाचल प्रदेश मेनटेनेंस ऑफ पेरेंटस एण्ड डिपेंडेंट'' विधेयक पास कर किया था। परंतु इस विधेयक को अभी भी राष्ट्रीय नीति की मंजूरी का इंतज़ार है। यह विधेयक अपने भरणपोषण में असमर्थ, राज्य के किसी भी व्यक्ति को भरणपोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत व्यक्ति, न्यायाधिकरण को अपने आश्रयदाता (संतान, पोते-पोती, पति-पत्नी, पिता या माता जो भी प्रकरण हो) को इस बात का आदेश देने के लिए आवेदन कर सकता है कि वह उसे भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता या एकमुश्त राशि दे। इस विधेयक का उद्देश्य न सिर्फ बुजुर्गों बल्कि ऐसी ही स्थिति में रह रही पत्नियों, बच्चों व अन्य आश्रितों को भी राहत देना है।

इस विधेयक के तहत ''मेनटेनेंस अधिकारी'' एवं ''अधिकृत व्यक्ति या संगठन'' नामक दो निकायों की व्यवस्था की गई है। मेनटेनेंस अधिकारी का काम इस कानून के तहत होने वाली कानूनी कार्यवाही में आवेदनकर्ताओं की सहायता करना एवं उनकी तरफ से न्यायाधिकरण में हाज़िर होना है। वह सम्बंधित पक्षों से बातचीत कर मामले का निपटारा भी करवा सकता है।

''अधिकृत व्यक्ति या संगठन'' सामाजिक कल्याण या परिवार कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत निकाय या फिर सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य निकाय हो सकता है जिसकी न्यायाधिकरण से सम्बद्धता न्यायाधिकरण को इस कानून के उद्देश्य अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का ज़्यादा प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करेगी। न्याधिकरण ने जिन लोगों को राहत दी है ये संगठन उनके भरणपोषण के भुगतान के लिए अधिकृत होंगे। इस राशि को वे बाद में सरकार से प्राप्त कर सकेंगे।

विधेयक में प्रावधान है कि वकील किसी भी पक्ष की पैरवी के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे। न्यायाधिकरण को किसी भी आवेदन पर, आवेदन प्राप्ति के छह माह के भीतर निर्णय करना होगा। यह विधेयक उस व्यक्ति के वेतन को ज़ब्त करने का अधिकार देता है जिसे न्यायाधिकरण की ओर से निर्वाह भत्ता देने का आदेश हुआ है और जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या स्थानीय निकाय या सरकारी कंपनी या किसी निगम का कर्मचारी है।

तीन राज्यों (सभी राज्य बारी-बारी से शामिल होंगे) के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इसके अलावा परिषद् में राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक-एक प्रतिनिधि को भी स्थान दिया गया है। परंतु वृद्धों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रहे कई मंत्रालयों को परिषद् में स्थान नहीं दिया गया है इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं-

स्वास्थ्य एवं पोषण : नीति में कहा गया है कि ''वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बुजुर्गों की स्वास्थ्य सम्बंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत किया जाएगा।''

आवास : नीति में प्रावधान है कि ''शहरी व ग्रामीण निम्न आय वर्गों की आवास योजनाओं में 10% मकान/स्थानों को वृद्धों को आवंटन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.. मकान खरीदने व मकान की मरम्मत के लिए ऋण की उपलब्धता को वृद्धों के लिए सहज बनाया जाएगा। ये ऋण आसान किश्तों में देय होंगे। ... सामाजिक मेल-मिलाप हेतु वृद्धों के लिए एक बहुउद्देशीय केंद्र होना आवश्यक है।.. सभी कॉलोनियों में ऐसे केंद्रों के लिए स्थान छोड़े जाएंगे। भूतल पर स्थित फ्लेटों के आवंटन में वृद्धों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षा : नीति में शिक्षा की ज़रूरत का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रावधान है कि ''शिक्षा, प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के अवसरों में वृद्धों के साथ होने वाले पक्षपात को खत्म किया जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालयों को दूरवर्ती शिक्षण तकनीकों से विशेष पैकेज तैयार करने को कहा जाएगा। औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के हरेक स्तर के पाठ्यक्रमों व कार्यक्रमों में पीढ़ियों के बीच परस्पर सहयोगी सम्बंधों को मजबूत करने हेतु विशेष सामग्री जोड़ी जाएगी।

कानून : वृद्धों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए भारतीय दण्ड विधान में विशेष प्रावधान शामिल करने पर विचार किया जाएगा। किरायेदारी कानून की समीक्षा की जाएगी ताकि वृद्धों के कब्जे के अधिकार तेज़ी से बहाल हो सकें।

मीडिया: नीति का एक उद्देश्य बुढ़ापे के मुद्दों पर मीडिया को भी शामिल करना है... ताकि पत्रकारों को अपने स्वतंत्र स्त्रोतों के अलावा भी सूचनाएं प्राप्त करने का अवसर मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्र: यहां वृद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ये ज़्यादा गरीब व कम साक्षर हैं। जीवन की प्रत्याशा भी काफी कम है।

श्रम: यह देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के साथ-साथ पेंशन, सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर काम करता है।

राष्ट्रीय नीति में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि सरकार का हरेक मंत्रालय नीति में वर्णित अपने क्षेत्र से सम्बंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा।

इन सभी कामों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल ज़रूरी है। इस काम को आसान बनाने के लिए अंतर मंत्रालयीन कमेटी का गठन एक उपयुक्त तरीका होगा। इस कमेटी को नीति क्रियान्वयन की निगरानी एवं सरकारी एजेंसियों के बीच नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने का काम सौंपा जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण मुद्दे

अब हम राष्ट्रीय वृद्ध नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करते हैं-

1) वृद्धों के लिए सामाजिक सहायता: वृद्धों को आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीति में खण्डबद्ध (सेगमेंटिड) तरीका अपनाया गया है। (विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए अलग-अलग नीतिगत उपाय किए जाएंगे। नीति में 60 वर्ष से ऊपर की कुल जनसंख्या के दो तिहाई हिस्से को ''आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग'' की श्रेणी में रखा गया है। इस जनसंख्या का आधा भाग गरीबी रेखा से नीचे है, जबकि आधा भाग गरीबी रेखा से तो ऊपर है परन्तु निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आता है।

नीति में वृद्धावस्था पेंशन योजना का कवरेज बढ़ाकर गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले सभी वृद्धों को इसमें शामिल करने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। साथ ही दस्तावेज में स्वरोज़गार व नौकरी में लगे लोगों के लिए एक नई पेंशन योजना की बात कही गई है।

नीतिगत वादों की पूर्ति के लिए मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी वृद्धावस्था आय सुरक्षा से जुड़े नीतिगत प्रश्नों की गहराई से पड़ताल करने के लिए बनाई गई है। जनवरी में कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कुछ हद तक बचत करने में सक्षम श्रमिकों के लिए नए पेंशन प्रावधानों का ज़िक्र है।

सामाजिक सुरक्षा के मसले पर सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद के लिहाज़ से गौर करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि भूमिहीन मज़दूर, छोटे व सीमांत किसान, कारीगर, दैनिक व अनियमित रूप से कार्यरत अकुशल मज़दूर, प्रवासी, श्रमिक, स्वरोज़गार व मज़दूरी में लगे ग्रामीण व शहरी लोग और घरेलू नौकर के बतौर कार्यरत या कार्य कर चुके लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद वृद्धों की श्रेणी में आते हैं। इन लोगों को न तो रोज़गार सुरक्षा प्राप्त होती है और न ही कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा।

हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने विशेष पेंशन योजनाओं व बेरोज़गारी राहत कार्यक्रमों के ज़रिए इन समूहों को सुरक्षा प्रदान की है। परंतु इन योजनाओं का कवरेज बहुत कम है। इन लोगों की स्थिति काफी खराब होती है क्योंकि इनके पास नियमित काम नहीं होता। यदि स्वास्थ्य साथ दे तो इन्हें बसर के लिए 60-65 वर्ष की उम्र तक काम करना पड़ता है। इनके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र व बुढ़ापे के लिए बचत के कोई मायने नहीं होते। ऐसे लोगों की जनसंख्या में और वृद्धि हो रही है।

वृद्धों की समस्याओं से निपटने के तरीकों पर विचार करने के लिए गठित ओ.ए.एस.आई.एस. परियोजना की विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित नई पेंशन योजना वृद्धों के सब से ज़्यादा जोखिमग्रस्त समूहों की विशेष समस्याओं का समाधान करने का दावा करती है।

इस रिपोर्ट में कई बातें काफी स्पष्टतया कही गई हैं। जैसे 'वृद्धावस्था सुरक्षा उपायों पर ज़्यादा सरकारी खर्च प्राय: अन्य महत्वपूर्ण मदों में कटौती करके किया जाता है। यह खर्च सरकारी खज़ाने पर भार को बढ़ाता है।'' दूसरी बात यह कि ''सरकार के सीमित संसाधनों के बल पर वृद्धों की इतनी ज़्यादा जनसंख्या के लिए गरीबी

वृद्धों के लिए राष्ट्रीय परिषद का सचिवालय ''आधार''

राष्ट्रीय परिषद् के सचिवालय *आधार* को *ऐजवेल* नामक संगठन में स्थापित किया गया है। *ऐजवेल* वृद्धों के लिए काम करने वाला एक स्वैच्छिक संगठन है। परिषद् की सहायता के अलावा *आधार* को वृद्धों की व्यक्तिगत शिकायतों के निराकरण, देशभर में ज़िलास्तर पर स्वैच्छिक संगठनों का नेटवर्क तैयार करने, वृद्धों एवं वृद्धावस्था से जुड़ी जानकारियों व आंकड़ों को एकत्रित करने के कार्यक्रमों के आयोजन की ज़िम्मेदारी दी गई है।

आधार की स्थापना नवंबर 1999 में हुई थी। इसने फरवरी, 2000 में देशभर में स्थानीय उपायुक्तों, कलेक्टरों व स्वैच्छिक संगठनों के परामर्श से ज़िला स्तर पर स्वैच्छिक कार्यवाही समूहों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसमें अब 120 ज़िलों के करीबन 2300 लोग शामिल हैं।

राष्ट्रीय परिषद् का सचिवालय एक स्वैच्छिक संगठन में स्थापित करने का विचार काफी नया है। अब देखना यह है कि परिषद् के एजेंडे एवं कार्यवाही को *आधार* कितने प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर पाता है। यह भी देखना होगा कि परिषद् खुद वृद्धों के मामलों की वकालत के लिए स्वास्थ्य आवास, कानून, पोषण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और श्रम जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच कितना तालमेल बिठा पाती है।

उन्मूलन कार्यक्रम चलाना मुश्किल है।... अतः सरकारी सहायता बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं है।'' परन्तु परियोजना की विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई पेंशन योजना वृद्धों के सबसे जरूरतमन्द तबकों की कितनी मदद कर पाएगी, इसमें अभी भी सन्देह है।

वृद्धों में गरीबी का एक मुख्य कारण युवावस्था में औपचारिक व संगठित क्षेत्र से बाहर कार्यरत मज़दूरों की बड़ी आबादी द्वारा आय व रोज़गार की सुरक्षा का अभाव झेलना है। और यह हमारी विकास योजना की असफलता का नतीजा है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य मज़दूरी व रोज़गार प्रदान कराना है न कि सहायता देना।

ओ.ए.एस.आई.एस. परियोजना द्वारा अनुशंसित नई पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो प्रतिदिन कम से कम पांच रुपए की बचत कर लेते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत किए गए शोध से पता चलता है कि यदि पूरी कामकाजी ज़िन्दगी (अनुमानित 35 वर्ष) के दौरान बचत की यही दर भी कायम रहती है और इसका ठीक निवेश किया जाता है तो यह वृद्धावस्था में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने से बचने में मदद कर सकती है। इस आधार पर परियोजना में यह मान लिया गया है कि 3 से 5 रुपए प्रतिदिन की बचत करने में सक्षम लोगों की बड़ी संख्या वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है। परंतु रिपोर्ट में पारिवारिक खर्चे या कर्ज़ की स्थिति के कोई आंकड़े नहीं हैं जिससे यह अनुमान स्वीकारा जा सके।

वृद्ध लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर विचार करते समय नीति औपचारिक व संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों से सम्बंधित विषयों जैसे पेंशन, प्रोविडेन्ट फण्ड, निवेश, ग्रेच्युटी, कर नीति, सेवा बाद के लाभों, सेवानिवृत्ति के बाद के रोज़गार प्रशिक्षण आदि पर ज़्यादा चिंता प्रकट करती है। ये सब चीज़ें सम्पन्न वृद्धों की थोड़ी-सी जनसंख्या के लिए प्रासंगिक हैं। सार में कहें तो वृद्धों की सामाजिक सहायता व सुरक्षा पर नीति दस्तावेज में ऐसी कोई सार्थक अनुशंसा नहीं की गई है जिससे गरीब वृद्धों की बाकी की ज़िंदगी में सुधार हो सके।

2. वृद्ध महिलाओं के कानूनी अधिकार:

यद्यपि नीति में कुछ जगहों पर वृद्ध महिलाओं की जेंडर आधारित कमज़ोरी का ज़िक्र किया गया है। परंतु ऐसी कोई ठोस अनुशंसा नहीं की गई है जो उम्र व जेंडर के कारण महिलाओं को पेश आने वाली विशेष परिस्थितियों से निपटने में सहायक हो। इसी के साथ नीति दस्तावेज में विधवाओं की बड़ी संख्या का उल्लेख तो किया गया है परंतु महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों की असंतोषजनक स्थिति की समीक्षा की ज़रूरत के संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया है।

नीति दस्तावेज में बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का उल्लेख किया गया है परंतु इसमें वृद्ध महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। हालांकि घरेलू हिंसा से बूढ़े लोगों को बचाने के लिए भारतीय दण्ड विधान में विशेष प्रावधान शामिल करने एवं इससे सम्बंधित प्रकरणों के जल्द निपटारे के लिए मशीनरी की स्थापना का वादा नीति की एक स्वागत योग्य बात है।

बुजुर्गों से सम्बंधित किसी भी विचार-विमर्श में वृद्ध महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि वृद्ध पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में काफी अंतर है। 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग में महिलाओं की अधिक जनसंख्या; वृद्ध पुरुषों व महिलाओं में साक्षरता व आय का बड़ा अंतर; वृद्ध पुरुषों की तुलना में वृद्ध महिलाओं में ज़्यादा रोगग्रस्तता, जेंडर के आधार पर वृद्धों में स्वास्थ्य सेवाओं की असमान उपलब्धता, ये सभी अंतर हस्तक्षेप के बिंदुओं को प्रस्तुत करते हैं। इन सबके बारे में नीतिगत स्तर पर काम करने की ज़रूरत है।

यद्यपि 1950 के दशक में हिन्दू कानूनों के नियमन को भारत के बहुसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत माना जाता है। परंतु ज़मीनी अनुभव बताते हैं कि आवास, संपत्ति एवं भरणपोषण के अधिकारों के मामलों में महिलाओं की स्थिति अभी तक कमज़ोर बनी हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून, 1956 (जो कि खुद के द्वारा अर्जित संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार देता है) ने महिलाओं के उत्तराधिकार को कमज़ोर कर दिया है। भागीदारी (पट्टीदारी) की अवधारणा ने भी महिलाओं के पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित किया है। पैतृक संपत्ति पर तो उनका अधिकार है परंतु इस संपत्ति का विभाजन पुरुष की स्वीकृति के बाद ही हो सकता है। न्यायालयों के रवैयों और फैसलों के कारण महिलाओं को संपत्ति की देखभाल में अक्षम माना जाने लगा है। इसलिए महिलाओं के सम्पूर्ण कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित किए बगैर वृद्ध महिलाओं की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता है। परंतु दस्तावेज इन पहलुओं को बिल्कुल नहीं छूता है।

कानून में महिलाओं की असमान स्थिति महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। यदि इस पर प्रहार नहीं किया जाता, तो फ़िर महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने या अन्य सेवाओं के लिए सहायता देने जैसे सतही बदलाव ही सम्भव हो पाएंगे। भारत में महिला आंदोलनों ने वृद्ध महिलाओं के दयनीय हालातों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। महिला समूहों द्वारा न्यायिक सुधार के लिए चलाए जा रहे अभियानों में न्यायिक अधिकारों से हीन, वृद्ध महिलाओं की खराब हालातों को उठाने की ज़रूरत है। *(स्रोत फीचर्स)*

स्रोत के ग्राहक बनें, बनाएं

वार्षिक सदस्यता शुल्क 150 रुपए कृपया एकलव्य, भोपाल के नाम बने ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से एकलव्य, ई–7/एच.आई.जी. 453, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462 016 के पते पर भेजें